कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// संशोधित आदेश //

क्रमांक/ 2166 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 22 मार्च 2020

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवश्यक बचाव के उपाय किए जाने हेतु सिवनी जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिवनी निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से आदेशित करता हूँ –

1. जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लाक डाउन घोषित किया जाता है, टोल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
2. जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।
3. जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय/संस्थायें बंद किए जाते है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, बैंकिग, डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें।
5. मेडिकल दुकान, हॉस्पीटल, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते है।
6. समस्त बस सेवाएं/संचालन बंद किए जाते है।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें :–

1. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई–कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
2. घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
3. अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक खुली रहेगी ।

प्रतिबंध से मुक्ति एवं पास हेतु अनुमति की प्रक्रिया – प्रतिबंध से अनुमति एवं पास के आवेदन केवल वाट्सएप और ई–मेल से प्राप्त किए जायेगें, आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक dmseoni09@gmail.com पर करें। अनुमति वाट्सएप एवं ई–मेल के माध्यम से ही जारी की जायेगी।

यह आदेश 23/03/2020 की प्रातः 06 बजे से दिनांक 25/03/2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेष का निर्वहन सामान्य जन एवं सम्बंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/सम्बंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। सम्बंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं सम्बंधितों को अवगत करावें।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 22 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

पृ. क्रमांक / 2166–ए / एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 22 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि, संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुए आदेश / निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी / बरघाट / केवलारी / लखनादौन / घंसौर / कुरई
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी / बरघाट / लखनादौन
7. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
8. सर्व थाना / चौकी प्रभारी, जिला सिवनी को पुलिस अधीक्षक सिवनी के माध्यम से पालनार्थ, आपके थाना क्षेत्रांतर्गत आदेश का अक्षरषः पालन हेतु।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी